<u>न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना, न्यायक्षेत्र मेड़ता, जिला नागौर</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश्वर विश्नोई (आर.जे.एस.)

दीवानी मूल प्रकरण संख्या – 32/2019

आम मेघवाल समाज लवादर बनाम गंगाराम वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.12.2025	वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुना गया। प्रार्थना पत्र में वादीगण की ओर से कथन किया गया है कि भूमि को लेकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच दिनांक 16.06.2019 को विवादित हो जाने तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को मौके पर से बेदखल करने पर आमादा होने पर थानाधिकार महोदय डेगाना व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आये एवं विवादित स्थल पर दोनों पक्षों के मध्य भारी तनाव होने से थानाधिकारी डेगाना द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डेगाना के समक्ष इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145, 146 सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डेगाना के द्वारा प्रकरण संख्या 151/2019 दर्ज कर दिनांक 16.06.2019 को आदेश पारित करते हुवे विवादित आराजी को कुर्क किया जाकर मामले का अवधारण होने तक धारा 146 सीआरपीसी के अन्तर्गत कुर्क किया जाकर उस पर थानाधिकारी डेगाना को रिसीवर नियुक्त किया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट डेगाना द्वारा उक्त विवादित भूमि को कुर्क किया जाकर थानाधिकारी महोदय डेगाना को रिसीवर नियुक्त किया है तथा उक्त भूमि को थानाधिकारी डेगाना द्वारा अपनी तहवील में ली जा चुकी है। इस वाद में वर्णित भूमि एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डेगाना की अदालत में दर्ज प्रकरण संख्या 151/2019 अन्तर्गत धारा 145, 146 सीआरपीसी की कार्यवाही एक ही भूमि को लेकर है तथा उक्त भूमि वर्तमान थानाधिकारी डेगाना तहवील में है। वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमि एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डेगाना की अदालत में दर्ज प्रकरण संख्या 151/2019 अन्तर्गत धारा 145, 146 सीआरपीसी की कार्यवाही एक ही भूमि एक ही भूमि है,	

जिससे उक्त भूमि को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डेगाना के आदेश दिनांक 16.06.2019 को कुर्क की गई है तथा थानाधिकारी डेगाना को रिसीवर नियुक्त किया गया है, जिससे उक्त वाद की सुनवाई में उपखण्ड मजिस्ट्रेट डेगाना एवं थानाधिकारी डेगाना आवश्यक पक्षकार है तथा इन्हें भी इस वाद में पक्षकार प्रतिवादी बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित एवं न्यायहित में है, जिससे कि प्रकरण का सही निस्तारण किया जा सके एवं पक्षकारान को भी सही न्याय निर्णय प्राप्त हो सकेगा। उपखण्ड मजिस्ट्रेट डेगाना एवं थानाधिकारी डेगाना को इस वाद में पक्षकार बनाये जाने पर किसी भी पक्षकर को कोई क्षति होने वाली नहीं है तथा सभी पक्षकारों को सही न्याय निर्णय प्राप्त हो सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट डेगाना एवं थानाधिकारी डेगाना को इस वाद में बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र की नकल वकील प्रतिवादीगण को दिलाई गई, जिनकी ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश कर कथन किया गया कि वादीगण ने नाजायज समूह बनाकर कब्जा करने की नीयत से एक चबूतरा डॉ. श्री भीमराव अम्बेडकर का जबरदस्ती बनाना शुरू कर दिया, जिस पर प्रतिवादीगण ने ऐतराज किया, तो लड़ाई–झगड़ा पर आमादा हुवे एवं जबरदस्ती चबूतरे का निर्माण शुरू कर दिया, जिस पर प्रतिवादीगण ने पुलिस थाना डेगाना में रिपोर्ट दर्ज करवायी, जो सी.आर. नम्बर 141/2019 जो वादीगण मियाराम वगैराह के खिलाफ धारा 143, 447 आईपीसी में दर्ज हुवा, जिसकी एफ.आई. आर. की प्रतिलिपि पेश की जा रही है, मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस एवं प्रशासन मौके पर आये तथा वादग्रस्त जमीन पर वादीगण द्वारा जो डॉ. भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा था उसे रूकवाया व मूर्ति नहीं लगवाने दी एवं वादग्रस्त जमीन पर पक्षकारान का तनाव को देखते हुवे व लड़ाई–झगड़ो की सम्भावना को देखते हुवे एस.डी.एम. डेगाना व पुलिस प्रशासन ने उपरोक्त जमीन को सीआरपीसी की धारा 145

व 146 की कार्यवाही करते हुवे वादग्रस्त जमीन को कुर्की का आदेश जारी कर दिया व अन्तर्गत धारा 146 सीआरपीसी में वादग्रस्त जमीन को कुर्क करके सी.आई. पुलिस थाना डेगाना को रिसीवर भी मुर्कर्रर कर दिया। उपरोक्त कार्यवाही में भी वादग्रस्त जमीन खसरा नम्बर 224/9 का हिस्सा होना दर्ज है व वादग्रस्त जमीन आज मौके पर एस.डी.एम. डेगाना द्वारा धारा 146 सीआरपीसी में कुर्की आदेश के बाद रिसीवर सी.आई. पुलिस थाना डेगाना के तहवील में हैं। उपरोक्त दस्तावेज से ही यह साबित है कि वादग्रस्त जमीन खसरा नम्बर 224/9 सरहद लवादर का हिस्सा है जो प्रतिवादी संख्या 12 व 14 की खातेदारीसुदा भूमि है, जिस पर वादीगण/सायलान का कोई हक अधिकार कब्जा उपयोग न तो कभी रहा, न आज है। उपखण्ड अधिकारी डेगाना ने प्रकरण संख्या 151/19 अन्तर्गत धारा 145, 146 सीआरपीसी की कार्यवाही करते हुवे उपरोक्त भूमि को दिनांक 16.06.2019 को कुर्क करने का आदेश दिया व माफिक आदेश थानाधिकारी डेगाना को रिसीवर नियुक्त किया गया। माफिक आदेश थानाधिकारी डेगाना ने उपरोक्त वादग्रस्त जमीन को अपनी तहवील में ले लिया व आज दिन भी उपरोक्त जमीन कुर्क की हुई है व थानाधिकारी डेगाना की तहवील में है। उपरोक्त वादग्रस्त जमीन के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी डेगाना ने जो प्रकरण संख्या 151/2019 में वादग्रस्त जमीन को कुर्की का आदेश दिया है, वह थानाधिकारी डेगाना को रिसीवर बनाकर तहवील में दिया, वह एक अदालत का आदेश है। उपखण्ड अधिकारी डेगाना एक स्वतन्त्र न्यायालय है और न्यायालय में उपरोक्त प्रकरण दर्ज होकर वादग्रस्त जमीन को न्यायालय के आदेश से कुर्क किया जाकर 146 सीआरपीसी में रिसीवर थानाधिकारी डेगाना को मुर्कर्रर किया गया है जो एक न्यायिक प्रक्रिया है और स्वतन्त्र न्यायालय की कार्यवाही है, जिसके तहत यह कार्यवाही की गई है। उपरोक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी पक्षकारान के बाद तलबी सबूत साक्ष्य ग्रहण करने के बाद गुणावगुण अनुसार इस प्रकरण में विधि अनुसार निर्णय करने के लिये स्वतन्त्र है, वो एक विधिक प्रक्रिया

है और एक अदालत द्वारा कार्यवाही की जा रही है, जिसमें पक्षकारान अपना पक्ष रख सकता है। अदालत के आदेश से जो पक्षकारान सन्तुष्ट नहीं है। आदेश की अपील व रिवीजन कर सकता है, अगर वादीगण अपना पक्ष उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश कर साक्ष्य सबूत के बाद निर्णय प्राप्त कर सकते हैं। निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हो तो अपील रिवीजन करने के लिये स्वतन्त्र है। दिनांक 16.06.2019 को उपखण्ड अधिकारी डेगाना के आदेश द्वारा वादग्रस्त जमीन कुर्क की गई, अगर उससे असंतुष्ट होते तो श्रीमान जिला एवं सैशन न्यायालय में रिविजन कर सकते थे। प्रकरण अदालत हाजा में विचाराधीन है, इस प्रकरण की सुनवाई करने के लिये अदालत हाजा को जो अधिकार दिये हुवे है। उसी तरह उपखण्ड अधिकारी भी एक स्वतन्त्र न्यायालय है, वो भी अपने न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 151/2019 अन्तर्गत धारा 145, 146 की सुनवाई करने के लिये विधि अनुसार स्वतन्त्र है। एक न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिये एक न्यायिक अधिकारी व थानाधिकारी डेगाना जो न्यायिक प्रक्रिया के आदेश से वादग्रस्त जमीन का रिसीवर है, जो एक प्रशासनिक अधिकारी है, जिसको वादीगण गलत आशय से उपरोक्त वाद में पक्षकार बनाना चाहते हैं, जो गलत है जिससे वादीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। वादीगण द्वारा जबरदस्ती उनके उपयोग–उपभोग में बाधा डालने से प्रतिवादीगण ने अदालत उपखण्ड अधिकारी डेगाना के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर रखा है, जो वाद संख्या 79/2019 अनुवान प्रभूराम बनाम मोतीराम विचाराधीन है व इसी प्रकार वादग्रस्त जमीन का एक और वाद उपखण्ड अधिकारी डेगाना के समक्ष राजूसिंह बनाम जिला कलक्टर नागौर वगैराह वाद संख्या 91/2019 उपखण्ड अधिकारी डेगाना के समक्ष विचाराधीन है। उसी प्रकार वादग्रस्त जमीन बाबत उपखण्ड मजिस्ट्रेट डेगाना की अदालत में प्रकरण संख्या 151/2019 दर्ज होकर धारा 145, 146 में वादग्रस्त जमीन को कुर्क किया गया है व एक अदालत के आदेश से पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी करके पक्षकारान को सहादत सबूत

पेश करने का एक अदालत ने आदेश दिया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट डेगाना एक स्वतन्त्र न्यायालय है, जिस प्रकरण उपरोक्त प्रकरणो में उपखण्ड मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी डेगाना विधि अनुसार अपने अदालत के कार्य बाद शहादत सबूत के निर्णय करने के लिये कानूनन स्वतन्त्र है, उसी प्रकरण इस प्रकरण में भूमि उपखण्ड मजिस्ट्रेट डेगाना अपनी न्यायिक शक्तियों का उपयोग करने के लिये एक स्वतन्त्र न्यायालय है, जो दर्ज प्रकरण में बाद साक्ष्य सबूत निर्णय करने के लिये स्वतन्त्र है। अगर कोई पक्षकार न्यायालय के आदेश से बाधिक समझता है तो उनके आदेश की रिवीजन अपील करने के लिये स्वतन्त्र है, इसलिये एक न्यायिक अधिकारी जो स्वतन्त्र रूप से न्यायालय व एक प्रशासनिक अधिकारी को अदालत हाजा में विचाराधीन वाद में पक्षकारान बनाकर उनके स्वतन्त्र न्याय निर्णय में विधि के विरूद्ध जाकर बाधा उत्पन्न करना है, जो कतई विधि सम्मत नहीं है। अंत में प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया एवं बहस के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह काबिले गौर है कि वादीगण की ओर से उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डेगाना व थानाधिकारी, पुलिस थाना डेगाना को इस आधार पर पक्षकार बनाने का निवेदन किया गया है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डेगाना ने उक्त संपत्ति को धारा 146 सीआरपीसी के तहत कुर्क किया है तथा थानाधिकारी, पुलिस थाना डेगाना को रिसीवर नियुक्त किया है। न्यायालय का मत है कि उक्त कार्य उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डेगाना द्वारा अपने शासकीय कर्तव्यों की पालना में किए गए हैं और इनसे उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डेगाना या थानाधिकारी, पुलिस थाना डेगाना को कोई व्यक्तिगत हित विवादित संपत्ति पर उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए उक्त दोनों ही अधिकारी न तो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है और न ही उचित पक्षकार है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

तनकीयात कायम की गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 22.12.2025 को पेश हो।